उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-27/2024/727717/2024/60-1099/138/2024
लखनऊ::दिनांक 28 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

श्रीमती अनुपम यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती सम्बद्ध मुख्यालय को वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79, दिनांक 08.12.2008 में दिये गये प्राविधानानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 27.10.2024 तक (कुल 180 दिवस) का मातृत्व अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
2- जिलाधिकारी, बस्ती।
3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती।
6- जिला परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती।
7- श्रीमती अनुपम यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती सम्बद्ध मुख्यालय।
8- गार्ड फाइल।

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।